रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5—अगस्त 11, 2006 (श्रावण 14, 1928)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5—AUGUST 11, 2006 (SRAVANA 14, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई, दिनांक 20 जुलाई 2006

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, जून 2006 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
		भायखला (मुंबई सर्कल) 9% राहत पत्र 1999 (डीमैट)			
जी.पी.एच. बोसीएन. 020061	रु. 3,00,000/-	राजा. जी. कुलकर्णी कुसुम आर. कुलकर्णी	4.5.2000	राजा. जी. कुलकर्णी कुसुम आर. कुलकर्णी	06.25.94 19.8.2005

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
		भायखला (मुंबई सर्कल)			
		9% राहत पत्र 1999 (डीमेट) (जी.पी.एच.)			
बीसीएन-007344 से बीसीएन-007348 तक	रु. 1,00,000/-X 5	जयेश वसंत वैद्य मालिनी जयेश वैद्य	2.9.1999	जयेश वसंत वैद्य मालिनी जयेश वैद्य	06.25.95 2.9.2005
		नई दिल्ली सर्कल			
		7.5% भारत सरकार ऋण 2010			
डीएच-000373	रु. 1,00,000/-	फेडरल बैंक लि.	12.11.81	बी.पी. सिंघल और पी.के.धवन ट्रस्टी हिन्द लैम्प ईपीएफ (एक्जम्पटेड एम्प्लाईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000329	रु. 1,85,000/-	-वही-	12.05.81	-वही-	-वही-
		7% भारत सरकार का ऋण 2009			
डीएच-000247	रु. 27,000/-	विनोद कुमार एंड कम्पनी	25.05.81	बी.पी. सिंघल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद लैम्प ईपीएफ (एक्जम्पटेड एम्प्लाईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000248	रु. 20,000/-	-वही-	25.05.81	-वही-	-वही-
डीएच-000249	रु. 6,000/-	-वही-	25.05.81	-वही-	-वही-
		9% भारत सरकार का ऋण 2013			
डीएच-000184	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	24.05.83	बी.पी. सिंघल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद लैम्प ईपीएफ (एक्जम्पटेड एम्प्लाईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000185	रु. 1,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएच-000255	रु. 50,000/-	फेडरल बैंक लि.	24.11.83	-वही-	-वही-
डीएच-000256	रु.45,000/-	फेडरल बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
		10% भारत सरकार का ऋण 2014			
डीएच-000212	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	30.11.84	बी.पी. सिंघल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद लैम्प ईपीएफ (एक्जम्पटेड एम्प्लाईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
डीएच-000213	रु. 1,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	30.11.84	-वही-	-वही-
डीएच-000214	रु. 1,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
		10.5% भारत सरकार का ऋण 2014			
डीएचसी-000105	रु. 2,00,000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा	29.4.85	बी.पी. सिंघल और पी.के. धवन ट्रस्टी हिंद लैम्प ईपीएफ (एक्जम्पटेड एम्प्लाईज)	एलएन-6/2005 13.4.2006
		9% राहत बांड 1999			
डीएचसी-000736	रु. 5,00,000	अशोक गर्ग, बबीता गर्ग और सतपाल गर्ग कोई एक या उत्तरजीवी	जी.पी. क्यूम्यूलेटिव	आईसीआईसीआई बैंक लि.	एलएन-2/2005 24.4.2006
डीएचसी-000737	रु. 5,00,000	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000738	रु. 5,00,000	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000739	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000740	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000741	रु.5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
डीएचसी-000742	रु. 5,00,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

जे. एम. बावा
सहायक प्रबंधक

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुंबई-51, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. अकेआ/प.अं./30जे/डीएलआई/छूट/2006/पीटी-आई/412--सा. का. जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है। (जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया है)।

अनुसूची-I

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं दिनांक	कोड नं. सहित स्थापना का नाम एवं पता	छूट की अवधि
1	आरंभिक छूट	मै. स्टैंडर्ड एलॉयज इंडिया (प्रा.) लि., एफ-26बी एण्ड 27, पर्बतपुरा इंड. एरिया, अजमेर-305005, राज/7785	1.1.96--31.12.98 1.1.99--31-12-01 1.1.02--31.12.04 1.1.05--31.12.07
2	आरंभिक छूट	मै. संभव जेम्स लि., 440, आदर्श नगर, जयपुर-302004, राज/13809	1.9.05--31.8.08

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा [2-क] के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का भुगतान आदि भी है, कि होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के सामूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पालिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. प्रीमियम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिसों को, जो कि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ की भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महीने के भीतर करना होगा।

व्ही. एन. शर्मा
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त
कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
नई दिल्ली

सं. अकेआ/प.अं./30जे/डीएलआई/छूट/2006/पीटी-आई/414--सा. का. जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है। (जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया है)।

अनुसूची-I

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं दिनांक	कोड नं. सहित स्थापना का नाम एवं पता	छूट की अवधि
1	सं. 2/1959/ इडीएलआई/ छूट/89/भाग- I/984/दिनांक 12.10.2004	मै. सुजाग फाइन केमिकल्स प्रा. लि. मंदिर सोसायटी, गोत्री पानी टंकी के पीछे, बड़ोदरा-390007, गुज/बीडी/20939	1.8.05--31.7.08

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा [2-क] के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का भुगतान आदि भी है, कि होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के सामूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पालिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. प्रीमियम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिसों को, जो कि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ की भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महीने के भीतर करना होगा।

व्ही. एन. शर्मा
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त
कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
नई दिल्ली

सं. अकेआ/प.अं./30जे/डीएलआई/छूट/2006/पीटी-आई/416--सा. का. जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है। (जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया है)।

अनुसूची-I

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं दिनांक	कोड नं. सहित स्थापना का नाम एवं पता	छूट की अवधि
1	सं. 2/1959/ इडीएलआई/ छूट/89/भाग-I/36300/ दिनांक 12.9.2001	मै. मुद्रा कम्युनिकेशंस प्रा. लि. मुद्रा टॉवर, शांति सदन सोसायटी, एलिसब्रीज, अहमदाबाद-380006, गुज/4147-ए	11.8.05--10.8.08

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा [2-क] के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का भुगतान आदि भी है, कि होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के सामूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पालिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. प्रीमियम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिसों को, जो कि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ की भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महीने के भीतर करना होगा।

व्ही. एन. शर्मा
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त
कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
नई दिल्ली

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
(CENTRAL DEBT DIVISION)

Mumbai, the 20th July 2006

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended May 2006 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised :—

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/ or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		Byculla, Mumbai Circle			
		9% Relief Bonds 1999 (Demat)			
GPH BCN020061	Rs. 3,00,000/-	Raja G. Kulkarni Kusum R. Kulkarni	4.5.2000	Raja G. Kulkarni Kusum R. Kulkarni	06.25.94 19.08.2005

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/ or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		Byculla, Mumbai Circle			
		9% Relief Bonds 1999 (Demat) GPH			
BCN 007344 to BCN 007348	Rs. 1,00,000/- ×5	Jayesh Vasant Vaidya and Malini Jayesh Vaidya	2.9.1999	Jayesh Vasant Vaidya and Malini Jayesh Vaidya	06.25.95 2/9/2005
		New Delhi Circle			
		7.5% GOI Loan 2010			
DH-000373	Rs. 1,00,000/-	Federal Bank Ltd.	12.11.81	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000329	Rs. 1,85,000/-	-do-	12.05.81	-do-	-do-
		7% GOI Loan 2009			
DH-000247	Rs.27,000/-	Vinod Kumar & Co.	25.05.81	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000248	Rs.20,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
DH-000249	Rs.6,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

9% GOI Loan-2013

No. of Security	Value in Rs./ Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
DH-000184	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	24.05.83	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000185	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	24.05.83	-do-	-do-
DH-000255	Rs. 50,000/-	Faderal Bank Ltd.	24.11.83	-do-	-do-
DH-000256	Rs. 45,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
		New Delhi Circle 10% GOI Loan-2014			
DH-000212	Rs. 1,00,000/-	Bank of Baroda	30.11.84	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
DH-000213	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
DH-000214	Rs. 1,00,000/–	-do-	-do-	-do-	-do-
		10.5% GOI Loan-2014			
DH-000105	Rs. 2,00,000/-	-do-	29.04.85	B.P. Singhal & P.K. Dhawan, Trustees Hind Lamps EPF (Exempted Employee)	LN-6/2005 13.4.2006
		9% Relief Bond 1999			
DHC-000736	Rs. 5,00,000/-	Ashok Garg Babita Garg and Satpal Garg (Any one or Survivor)	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000737	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000738	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000739	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000740	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000741	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006
DHC-000742	Rs. 5,00,000/-	-do-	GP Cumulative	ICICI Bank Ltd.	LN 2/2005 dt. 24.04.2006

J. M. BAVA
Asstt. Manager

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Mumbai-51, the 10th July 2006

No. ACC/WZ/30J/DLI/Exemption/2006/PT-I/412—S.O. Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/ CPFC Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

Schedule-I

Sl. No.	Previous Notification No. and Date	Name of the Establishment with Code No.	Period of Exemption
1.	Initial Exemption	M/s. Standard Aloys India (P) Ltd., F-26(B) & 27, Parbatpura Ind. Area, Ajmer-305002, RJ/7785	1.1.96–31.12.98 1.1.99–31.12.01 1.1.02–31.12.04 1.1.05–31.12.07
2.	Initial Exemption	M/s. Sambhav Gems Limited, 440, Adarsh Nagar, Jaipur-302004, RJ/13809	1.9.05–31.8.08

Schedule-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P. F. Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Not withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

V. N. SHARMA
Additional Central P. F. Commissioner
For and on behalf of Central P. F. Commissioner
New Delhi

No. ACC/WZ/30J/DLI/Exemption/2006/PT-I/414—S.O. Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/ CPFC Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

Schedule-I

Sl. No.	Previous Notification No. and Date	Name of the Establishment with Code No.	Period of Exemption
1.	No.2/1959/ DLI/Exemp/ 89/PT-I/984 dt.12.10.04	M/s. Sujag Fine Chemicals Pvt. Ltd., 3, Matri Mandir Society, Behind Gotri Water Tank, Vadodara-390007, GJ/BD/20939	1.8.05–31.7.08

Schedule-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P. F. Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Not withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation

of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

V. N. SHARMA
Additional Central P. F. Commissioner
For and on behalf of Central P. F. Commissioner
New Delhi

No. ACC/WZ/30J/DLI/Exemption/2006/PT-I/416—S.O. Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/ CPFC Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

Schedule-I

Sl. No.	Previous Notification No. and Date	Name of the Establishment with Code No.	Period of Exemption
1.	No. 2/1959/ EDLI/Exem/ 89/Part-I/ 36300 dt. 12.09.01	M/s. Mudra Communi-cations Pvt. Ltd., Mudra Tower, Shanti Sadan Society, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, GJ/4147-A	11.8.05–10.8.08

Schedule-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P. F. Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Not withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay

the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

V. N. SHARMA
Additional Central P. F. Commissioner
For and on behalf of Central P. F. Commissioner
New Delhi

HARYANA WAKF BOARD

Ambla Cantt., the 2006

CORRIGENDUM

No. Wakf/45/Gen./Pub./Gazette/Vol.II.—In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), which are accessible by me under the powers delegated by Haryana Wakf Board. The corrigendum of the under mentioned Wakf property is hereby published in the Gazette of India Part-III, Section-4 under Section 40 of the Wakf Act, 1995 :—

S. No.	Page No. of Gazette	S. No. of Gazette	Date of Publication of Gazette	Distt./Tehsil	Village	Amendment
6.	828	1	7.2.1981	Sonepat/ Gohana	Gohana	Kh. No. 439 (old Kh. No. 3565) the area may be read as 8 Kanal 01 Marlas instead of 1 Kanal 08 Marlas.

Sd/- ILLEGIBLE
Chief Executive Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006